फाइल सं. ए.12018/59/2019-कुष्ठ
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा, में असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), गौरीपुर बांकुरा में असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 30/11/22
(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 30/11/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा (असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट)पद भर्ती नियमावली, 1986 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर, बांकुरा, पश्चिम बंगाल में असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनन्नुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100रु.)।	लागू नही होता ।	18 और 25 वर्ष के बीच* *अखिल भारतीय ओपन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा 18 और 27 वर्ष होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या	अनिवार्य: 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ12वीं उत्तीर्ण 2.किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा 3 पाठ्यक्रम	लागू नही होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।

					आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्प्ण1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के	फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल या संबंधित राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त होना चाहिए 4 ऑर्थोपेडिक/न्यूरोलॉजी विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट/ अस्स्टिेंट फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में दो वर्ष का अनुभव टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: यदि चयन में किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी का			

					लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनमें अपेक्षित अनुभव नहीं है तो इन समुदाय से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव सम्बंधित योग्यता में छूट दी जाती है ।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः- (क) वे अधिकारी जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर किसी समान पद पर पदस्थ हैं; या (ख) (i) वेतन मैट्रिक्स (21700-69100) में स्तर 3 या समकक्ष में 5 वर्ष की नियमित सेवा। (ii) स्तंभ -7 के अंर्तगत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यतासे भरा जाएगा (प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के किसी विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए, सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक न हो।) नोटः प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्य तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. निदेशक,क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - अध्यक्ष 2सहायक निदेशक/सीनियर मेडिकल ऑफीसर क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य 3. मेडिकल ऑफीसर क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर - सदस्य	लागू नही होता ।

फा.सं. ए.12018/59/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार